

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

K.T.S No.- 09/2009-10

जुरिया बुड़ीउली।

बनाम

ललित नारायण सवैयाँ।


आदेश


यह वाद दिनांक- 31.07.2009 को वादी जुरिया बुड़ीउली, पिता- स्व० महती बुड़ीउली, निवासी ग्राम- तमाड़बाँध, पो०- चाईबासा, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा दायर वाद पत्र के Schedule में वर्णित भूमि का Declaration/Confirmation alternatively for recovery of possession के लिए प्रतिवादी ललित नारायण सवैयाँ, पिता- मधुसूदन सवैयाँ, निवासी ग्राम- उकुमदकम, पो०- नयागाँव, थाना- मंझारी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध कोल्हान दिवानी वाद दाखिल किया गया है। इस वाद में दिनांक 11.01.2018 से उभय पक्ष या उनके अधिवक्ता के द्वारा उपस्थिति नहीं दी जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष या उनके अधिवक्ता को वाद भूमि में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उक्त परिस्थिति में उभय पक्ष को वाद भूमि में अभिरुचि नहीं रहने के कारण इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।


अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।


अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।